तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	एवं पत्रावली व प्राप्त कुरेजात के अवलोकन आधार पर प्रार्थिया प्रार्थना पत्र आपत्ति कुरेजात प्रस्तुत नहीं होने से खारिज किया जाता है पत्रावली वास्ते बहस कुरेजात दिनांक: 14.2.25 को पेश हो। [signature] उप खण्ड [illegible]कारी बांदीकुई (दौसा)
14.02.25	पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उपस्थित वकील उभयपक्ष द्वारा कुरेजात का अवलोकन कर बहस कुरेजात की गयी। हमने वकील उभयपक्ष बहस सुनी। बहस उभयपक्ष वकील पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं प्राप्त कुरेजात का अवलोकन किया गया प्राप्त कुरेजात बरूये राजस्व रिकॉर्ड के विधिवत तैयार किये जाना प्रतीत होने से प्राप्त कुरेजात स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार बांदीकुई से प्राप्त कुरेजात स्वीकार किये जाते है तथा वादीगण बाद अंतिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी होकर प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] 14/2/25 उप खण्ड [illegible] बांदीकुई

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवा

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई (दौसा)

PH:-01420-228487 E-Mail-sdo-ban-dau-rj@nic.in

प्रकरण संख्या :-27/2013
प्रकरण दायर दिनांक:- 12.02.2013
प्रकरण निर्णय दिनांक:- 14.02.2025

उनवान

1. मु0 नत्थी आयु 80 वर्ष लगभग बेवा रामसुखा (फौत)
2. मु0 केसर आयु 50 वर्ष लगभग
3. मु0 विमला आयु 48 वर्ष लगभग
4. मु0 भगवती आयु 43 वर्ष लगभग
5. मु0 प्रेम आयु 38 वर्ष लगभग

(2 से 5) — पुत्रियां रामसुखा
(1 से 5) — जाति बैरवा निवासी खेजडा वाला बास बाढ बगीची

बनाम

1. रामजीलाल आयु 64 वर्ष लगभग पुत्र मूल्या जाति बैरवा साकिन खेजडा का बास हाल निवासी अम्बेडकर कॉलोनी वार्ड संख्या दो बांदीकुई (फौत)
   1/1 किस्तूरी पत्नि स्व. रामजीलाल
   1/2 गजेन्द्र पुत्र स्व. रामजीलाल
   1/3 ललिता पुत्र स्व. रामजीलाल
   1/4 हेमलता पुत्री स्व. रामजीलाल
   1/5 नीतू उर्फ अनिता पुत्री स्व. रामजीलाल

   (1/1 से 1/5) — जाति समस्त बैरवा निवासी अम्बेडकर कॉलोनी वार्ड सं. 7 बांदीकुई
2. सुरेन्द्र कुमार उम्र 33 वर्ष पुत्र श्री रामजीलाल जाति बैरवा निवासी प्रतापपुरा तहसील बसवा जिला दौसा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार एवं उपपंजीयक बसवा तहसील बसवा जिला दौसा

दावा तकास्मा एवं हुक्म इम्तनाई दवामी
मुकदमा नं.-27/2013 सन्-2013

निर्णय दिनांक 14.02.2025

वादीगण द्वारा वाद पत्र दावा तकास्मा एवं हुक्म इम्तनाई दवामी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि भूमि काश्त आराजियात खतौनी संख्या नई 41 पुरानी 35 के खसरा नंबर 203 लगायत 211, 213 लगायत 216, 221, 222, 226,227, 228, 232, 233 कुल किता 20 कुल रकबा 3.54 हैक्टेयर काश्त चाही लगानी 145 रूपये 14 पैसे वाके रामा मौजा बाढ बगीची तहसील बसवा के स्थित है जिसके बाद डिकी न्यायालय हाजा भूमि खसरा नंबर 203, 204, 700/205, 702/206, 704/206, 207, 208, 209, 705/210, 707/213 कुल किता खसरा नंबर दस बरकबा कुल 1.25 हैक्टे.

२५६-

लगानी 51 रूपये 25 पैसे के हिस्सा 1/2 के खातेदार वादीगण तथा हिस्सा 1/2 के खातेदार प्रतिवादी संख्या एक संयुक्त रूप से हुए है जिसके अनुसार ही नामान्तकरण खुल कर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या एक के हक में संयुक्त रूप से खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड हुयी है वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या एक की उक्त संयुक्त खातेदारी की भूमि रिकॉर्ड हुयी है वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या एक की उक्त संयुक्त खातेदारी की भूमि को यहाँ के उपरांत भूमि मुतदाविया से संबोधित किया गया है। भूमि वादग्रस्त वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या एक के हिन्दू मुश्तर्का खानदान की पुश्तैनी कोपार्सनरी सम्पत्ति है जो उन्हे अपने बुजुर्गो से प्राप्त हुयी है जिसका वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या एक के मध्य आज दिन तक तकास्मा नहीं हुआ है तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या एक उक्त भूमि पर अपनी मनसमाई से संयुक्त रूप से शामिल में काबिज काश्त होकर मुस्तफीद होते चले आ रहे है तथा उसमें बने हुये पुख्ता चाह से आबपासी करते रहे है जिसमे रामसुखा ने विद्युत कनेक्शन भी ले रखा था लेकिन कुछ समय से उक्त चाह पानी सूख जाने से उसका विद्युत कनेक्शन अस्थायी तौर पर हटवा दिया है तथा जगह जगह बोरिंग करवा कर पानी निकालने की कोशिश कर रहे है लेकिन अभी पानी नहीं हो पाया है जिसकी वजह से इस उन्हालू में उसमे कोई जिन्स काश्त नहीं की जा सकी है। उक्त भूमि की सुरक्षा के लिए उसके दो तरफ पूर्व एवं पश्चिम मे खाम पाल तथा मेगा हाइवे की तरफ पश्चिम एवं दक्षिण की बाड लगा रखी है उक्त भूमि वादग्रस्त में रामसुखा द्वारा लगाये हुए एक पीपल, एक गूलर, तीन नीम, एक केश्या, एक पापड, एक लिसोडे का तथा एक खजूर का पेड मौजूद है तथा पाल पर दो खेजडी एक नीम का पेड तथा उक्त भूमि में 3 खेजडा, एक एडू तथा 2 बौली के पेड प्राकृतिक रूप से उगे हुये है। उक्त सभी पेडो की लकडी, ईधन, फल, पत्ते इत्यादि को वादीगण प्राप्त करके लाभान्वित होते चले आ रहे है तथा वादीगण का भूमि वादग्रस्त पर प्रतिवादी संख्या एक के साथ प्रत्येक इंच भूमि पर शामिल में कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या एक के मध्य उक्त भूमि वादग्रस्त का आज दिन तक तकास्मा नहीं हुआ है तथा वादीगण प्रतिवादी संख्या एक के साथ उक्त भूमि के हर इंच भूमि पर काबिज काश्त है लेकिन बाद फौतगी रामसुखा अब प्रतिवादी संख्या एक के मन में बददेहान्ति आ गयी है। तथा वह वादीगण को उनके हक हकूक कब्जे खातेदारी की भूमि से जबरन बेदखल करने को आमादा हो रहा है। जिस गरज से उसने बिना तकास्मा कराये दिनांक 28.01.2013 को प्रतिवादी संख्या 2 के हक में बिना कोई प्रतिफल की रकम लिये तथा बिना कब्जा दिये अदम जानकारी वादीगण एक शुरू से फेक रजिस्ट्री बयनामा बनवा दिया है जिसकी जानकारी वादीगण को दिनांक 11.02.2013 से पूर्व कभी नहीं हो सकी है तथा जब दिनांक 11.02.2013 को प्रतिवादीगण संख्या एक व दो भूमि वादग्रस्त से जबरन वादीगण को बेदखल करने एवं प्रतिवादी संख्या को कब्जा नाजायज कराने को आमादा हो गये तो वादीगण के एतराज करने पर उन्होने सर्व प्रथम वादीगण को रजिस्ट्री बयनामा के बारे में बताया तथा एलानियाँ कहा कि वे वादीगण को जबरन बेदखल करेंगे तथा प्रतिवादी संख्या 2 को कब्जा नाजायज करायेंगे ऐसी सूरत में यदि उन्हे तुरंत ही पाबंद नहीं किया गया तो वे बिना तकासमा भूमि वादग्रस्त का किसी अन्य खूँखार भूमाफिया को अंतरण कर देगा तथा वादीगण को उनके हक हकूक खातेदारी की भूमि से जबरन बेदखल कर देगा जिससे वादीगण के हकूक खातेदारी का हनन होगा तथा उन्हे उन्हे नुकसाने अजीम नाकाबिले तलाफी एवं तायून होगा जिसकी गणना एवं

Ⅎwe-

Scanned with OKEN Scanner

क्षतिपूर्ति भी संभव नही हो सकेगी। तथा पक्षकारान के मध्य भारी झगडे फिसाद होकर बिला वजह बेलोस मुकदमे बाजी चल पडेगी जो बाय से बर्बादी पक्षकारान होगी। बिनाय योम दावा एवं बिनाय मुखास्मत वादीगण को दिनांक 11.02.2013 को प्रतिवादी द्वारा भूमि वादग्रस्त से वादीगण को बेदखल करने तथा प्रतिवादी संख्या 02 को कब्जा कराने तथा दीगर लोगो को अंतरण करने को आमादा हो जाने से तथा उनसे तकास्मा कर लेनें हेतु कहने पर उनके इंकार कर देने से अंदर हदूद अदालत हाजा उत्पन्न हुयी है अतः दावा अंदर मियाद पेश है तथा सकूनत फरीकेन एवं सकूनत भूमि वादग्रस्त अंदर हदूद अदालत हाजा के वाकै है तथा दावा हाजा के श्रवणाधिकार भी न्यायालय हाजा को हासिल है। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादीगण बहक वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावे कि भूमि वादग्रस्त खसरा नंबर 203, 204, 700/205, 702/206, 704/206, 207, 208, 209, 705/210, 707/213 कुल किता खसरा नंबर दस बरकबा कुल 1.25 हैक्टे. लगानी 51 रूपये 25 पैसे वाके रामा बाढ बगीची तहसील बसवा का सरस नरस तकास्मा किया जाकर उसके अलग अलग खाते खतौनी जमाबंदी व अन्य सरकारी रिकॉर्ड पासबुक बनाये जावे तथा अलग अलग लगान मुकर्रर किया जावे तथा अलग अलग खेत कायम कराये जावे। प्रतिवादीगण को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी इस अमर से पाबंद किया जावे कि वे भूमि वादग्रस्त के किसी हिस्से को किसी भी अन्य सख्स या संस्था को किसी भी प्रकार रहन, बय अथवा अन्य प्रकार अन्तरण नहीं करे तथा इस बाबत कोई बयनामा, रहननामा अथवा अन्य अन्तरण पत्र नहीं बनाये ना ही करार करे तथा बयनामा दिनांक 28.01.2013 पंजीकृत कराये तथा एसे किसी बयनामे अथवा अन्य अन्तरण पत्र के आधार पर नामान्तकरण नहीं खोले तथा राजस्व रिकॉर्ड में तबदीली नहीं करे तथा भूमि वादग्रस्त उक्त के किसी भी हिस्से से वादीगण को बेदखल नहीं करे तथा भूमि वादग्रस्त में वादीगण को शांतिपूर्वक काबिज रहते हुये काश्त करके मुस्तफीद होते रहने में कतई किसी प्रकार व्यवधान उत्पन्न करने से बाज व मुमतनाह रहें। तथा प्रतिवादी संख्या 2 भूमि वादग्रस्त के किसी भी हिस्से पर तावक्त तकास्मा कब्जा या काश्त नहीं करें। खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें।

वादीगण वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण जर्ये नोटिस विधिवत की गई। प्रतिवादीगण सं. 1, 2 की ओर से अधिवक्ता श्री इंद्रजीत कुण्डारा ने वकालतनामा पेश किया। उभयपक्ष वकील द्वारा वाद को प्राथमिक डिकी किये जाने बाबत सहमति प्रकट की गयी । उभयपक्ष वकील द्वारा सहमति प्रकट करने पर वादीगण वाद प्राथमिक डिकी किया जाकर तहसीलदार बॉदीकुई को कुरैजात प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार बॉदीकुई के पत्र कमांकः 6225 दिनांकः 05.05.2022 द्वारा कुरैजात प्रस्ताव प्राप्त होकर शामिल पत्रावली किये गये। तहसीलदार बॉदीकुई से प्राप्त कुरैजात प्रस्ताव का उभयपक्ष वकील द्वारा अवलोकन किया गया। प्रार्थिया विमला पुत्री रामसुखा जाति बैरवा निवासी खेजडा वाला बास बाढ बगीची तह. बसवा द्वारा दरख्वास्त आपत्ति बाबत पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि में मिन प्रार्थीगण का सम्मिलित में 1/2 हिस्सा है तहसीलदार बांदीकुई द्वारा भूमि विभाजन के दिनांक 14.12.2022 को भेजे गये कुरैजात कब्जे काश्त के विरूद्ध भेजे गये है जबाब में बाहमी विभाजन व मौके पर प्रार्थीगण(वादीगण) का आराजी खसरा नंबर 207, 208, 209, 704/206/2 पर कब्जा काश्त रहा है तथा खसरा नंबर 705/210/2 पर प्रार्थीगण ने अपनी पुख्ता रिहायश दोनो

Scanned with OKEN Scanner

वादी व प्रतिवादी नत्थी व रामजीवन की हुयी है जबकि प्रार्थीगण को प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त के खसरा नंबर 203, 204,700/205, 704/206/1 प्रस्ताव ने दिये गये है जो भू राजस्व नियमों के विरूद्ध होने से स्वीकार योग्य नहीं है भेजे गये कुरैजात प्रस्ताव पर प्रार्थीगण की विधिक आपत्ति है। अतः आपत्ति कुरैजात पेश कर निवेदन है कि तहसीलदार बांदीकुई को पुनः संशोधित कब्जेकाश्त के अनुसार भेजे जाने के लिये आदेश फरमाये जावें। अप्रार्थी/प्रतिवादी सुरेन्द्र कुमार द्वारा जर्ये वकील श्री इंद्रजीत कुण्डारा के जबाब प्रार्थना पत्र आपत्ति कुरैजात पेश कर अवगत करवाया है प्रार्थना पत्र का पैरा नंबर 1 में वर्णित बाबत जिस तरह से अंकन किये है अस्वीकार है कुरैजात तहसीलदार जी बांदीकुई द्वारा राजस्व नियमों की पूर्णतया पालना करते हुये मौके पर जाकर विधिक प्रक्रिया अपना कर तैयार किये है भूमि पर जिन खसरा नंबरान कि भूमि पर स्वयं वादी का कब्जा होना जाहिर नहीं किया है बल्कि प्रतिवादीगण द्वारा पूर्व में दिनांक 28.01.1993 को लिखित बंटवारा भूमि खसरा नंबरान पर कब्जा होना स्वीकार करते हुये किया जिनका हवाला दिया है। केवल मात्र अप्रार्थीगण को परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः श्रीमान की सेवा में जबाब आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र ऐतराज कुर्रेजात पर उभयपक्ष वकील बहस सुनी गयी। उभयपक्ष वकील ने बहस में प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया। हमने उभयपक्ष वकील बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं तहसीलदार बॉदीकुई से प्राप्त कुर्रेजात का अवलोकन किया। कुर्रेजात अवलोकन से प्रकट है कि प्राप्त कुरैजात तहसीलदार (भू.अ.) बॉदीकुई द्वारा पक्षकारों को विधिवत सूचित कर मौके पर बरूये राजस्व रिकार्ड के बनाये गये हैं। तथा यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी/वादी द्वारा प्रकरण को देरी करने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र ऐतराज कुर्रेजात पेश किया है। उपरोक्त विवेचन से प्रार्थी/वादी प्रार्थना पत्र ऐतराज कुर्रेजात स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी/वादी प्रार्थना पत्र ऐतराज कुर्रेजात पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।

प्राप्त कुरैजात तहसीलदार (भू.अ.) बॉदीकुई द्वारा पक्षकारों को विधिवत सूचित कर मौके पर बरूये राजस्व रिकार्ड के बनाया जाना प्रकट होने से प्राप्त कुरैजात स्वीकार किये जाकर वादीगण वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादीगण वाद दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर प्राप्त कुरैजात अनुसार निम्न अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है–

Scanned with OKEN Scanner

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

जज अदालत–न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट बॉदीकुई मुकाम–बॉदीकुई
जज इजलास–श्री रामसिंह राजावत आर.ए.एस. उपजिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट बॉदीकुई

उनवान

1. मु0 नत्थी आयु 80 वर्ष लगभग बेवा रामसुखा (फौत)
1. मु0 केसर आयु 50 वर्ष लगभग
2. मु0 विमला आयु 48 वर्ष लगभग
3. मु0 भगवती आयु 43 वर्ष लगभग
4. मु0 प्रेम आयु 38 वर्ष लगभग

पुत्रियां रामसुखा

जाति बैरवा निवासी खेजडा वाला बास वाढ बगीची

बनाम

1. रामजीलाल आयु 64 वर्ष लगभग पुत्र मूल्या जाति बैरवा साकिन खेजडा का बास हाल निवासी अम्बेडकर कॉलोनी वार्ड संख्या दो बांदीकुई (फौत)

1/1 किस्तूरी पत्नि स्व. रामजीलाल
1/2 गजेन्द्र पुत्र स्व. रामजीलाल
1/3 ललिता पुत्र स्व. रामजीलाल
1/4 हेमलता पुत्री स्व. रामजीलाल
1/5 नीतू उर्फ अनिता पुत्री स्व. रामजीलाल

जाति समस्त बैरवा निवासी अम्बेडकर कॉलोनी वार्ड सं. 7 बांदीकुई

2. सुरेन्द्र कुमार उम्र 33 वर्ष पुत्र श्री रामजीलाल जाति बैरवा निवासी प्रतापपुरा तहसील बसवा जिला दौसा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार एवं उपपंजीयक बसवा तहसील बसवा जिला दौसा

दावा तकास्मा एवं हुक्म इम्तनाई दवामी

मुकदमा नं.–27/2013 सन्–2013

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वादीगण वकील–श्री के. कमल सिंह व हाजिरी प्रतिवादीगण वकील श्री इंद्रजीत कुण्डारा मिनजानिब मुद्दई रूबरू .... मिनजानिय मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि प्रार्थना पत्र ऐतराज कुरैजात पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है तथा कुरैजात तहसीलदार (भू.अ.) बॉदीकुई द्वारा पक्षकारों को विधिवत सूचित कर मौके पर बरूये राजस्व रिकार्ड के बनाया जाना प्रकट होने से प्राप्त कुरैजात स्वीकार किये जाकर वादी वाद दावा तकास्मा व हुक्म इम्तनाई दवामी स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाता है। तहसीलदार बॉदीकुई तदनानुसार राजस्व रिकार्ड में विधिवत अमल दरामद करना सुनिश्चित करे। साथ ही प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत न करें। कुरैजात, निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा।

निज..............................मुबलिग..बाबत्...
खर्चा इस मुकदमें के मय सूद मसरह.. फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.. का अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14 माह 02 सन् 2025 को जारी की गई।

दस्तखत 14/2/25
ओहदा उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई

मुहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामास्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	निल	निल	स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	निल	निल

14/2/25

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)